

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त अनुभाग-8  
संख्या /2017/9(120)/XXVII(8)/2017  
देहरादून:: दिनांक:: 14 सितम्बर, 2017

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम सं0 06 वर्ष 2017) की धारा 128 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, परिषद् की सिफारिशों पर, उन सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो नियत तारीख तक जुलाई, 2017 मास के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी देने में असफल रहे हैं, उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलम्ब फीस का अधित्यजन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(राधा रतूड़ी)  
प्रमुख सचिव।


सं0 726/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तददिनांक।


प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।
- 2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रुड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियाँ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100-100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
- 3-विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4-अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
- 5-एन0आई0सी0
- 6-गार्ड फाईल हेतु।

  
.....अनुभाग  
आवश्यक कार्यवाही करें।

5642  
15/09/2017

  
अपर आयुक्त-वाणिज्य कर  
उत्तराखण्ड, देहरादून

आज्ञा से,  
  
(हीरा सिंह बसेड़ा)  
अनु सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 726 / 2017/ 9(120)/XXVII(8)/ 2017 dated 14 September, 2017 for general information

**Government of Uttarakhand**

**Finance Section-8**


No. 726 / 2017/ 9(120)/XXVII(8)/2017

Dehradun :: Dated :: 14 September, 2017

**Notification**

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 128 of the "Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Act no. 06 of 2017)", the Governor is pleased to allow to waives the late fee payable under section 47 of the said Act, for all registered persons who failed to furnish the return in FORM GSTR-3B for the month of July, 2017 by the due date.

  
(Radha Raturi)  
Principal Secretary